राज भवन, लखनऊ

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्याःई– 309 /जी0एस0 दिनांक जनवरी 13 , 2021

विज्ञापन संख्या : ई–4790/जी0एस0, दिनांक 28 अगस्त, 2020 के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे, परन्तु आवेदकों में से किसी को कुलपति पद पर नियुक्त किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक **15 फरवरी, 2021** तक केवल **ऑन लाइन (On Line)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE UNIVERSITY, LUCKNOW (U.P.)

Advt. No. : E- 309 /GS Dated January 13 , 2021

Applications were invited by the Advertisement No. E-4790/GS, dated 28 August, 2020, however none of the applicants have been found suitable for appointment as Vice Chancellor.

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow(U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicants for the post of Vice-Chancellor may send their application **Online** only in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **15 February, 2021**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh

राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0
लखनऊ--226027

संख्याः ई - 310 / जी0एस0
दिनांकः 13/01/ 2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

महोदय,

अवगत कराना है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति पद पर नियुक्ति की जानी है। उक्त हेतु विज्ञापन की प्रति एवं पेन ड्राइव संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः संलग्न सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के दो एवं प्रदेश स्तर के दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने का एवं प्रकाशित विज्ञापन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। हिन्दी विज्ञापन को हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं अंग्रेजी विज्ञापन को अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करना है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रेस अधिकारी, राजभवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विशेष कार्याधिकारी (आई.टी.), राजभवन, लखनऊ को राजभवन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।